महत्वपूर्ण एवं खास

आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए 26 मार्च तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (शहरी)अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र समाधिगली वार्ड क्रमांक 31 में आंगनबाड़ी में रिक्त सहायिका पद के लिए 26 मार्च 2025 तक इच्छुक आवेदिकाओं से आवेदन मंगाए गए है। आवेदिका अपना आवेदन परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (शहरी)में जमा कर सकते है। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश व नियम शर्तो के लिए परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते है।

ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, दो भागों में कटा शरीर

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक युवक चलती ट्रेन के सामने गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. ट्रेन गुजरते ही युवक का शरीर दो हिस्सों में बंट गया, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि युवक अचानक पटरी पर जा गिरा और तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया. हादसे के बाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में हडक़ंप मच गया. सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस (जीआरपी) और आरपीएफ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल, मृतक की पहचान नहीं हो सकी है, पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह दुर्घटना थी या आत्महत्या.

3000 मुखौटे जब्त कर पुलिस ने 30 दुकानदारों पर की कार्यवाही

कोरबा-रायपुर (आरएनएस)। होली पर्व के मद्देनज़र आम नागरिकों की सुरक्षा, महिला सम्मान और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस द्वारा व्यापक सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चेहरा ढंकने वाले मुखौटों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए कोरबा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 30 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए धारा 106 के तहत 3000 से अधिक मुखौटे जप्त किए गए हैं। मुखौटे पहनकर लूट, छीना-झपटी, महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी आपराधिक घटनाओं की संभावना को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। कोरबा पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर मुखौटा पहनकर न चलें और यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

पिस्टल जैसे लाइटर के साथ बनाया वीडियो, पुलिस ने नाबालिगों को पकड़ा

गिधौरी-रायपुर (आरएनएस)। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा पिस्टलनुमा लाइटर मंगा कर उसके साथ वीडियो रील बनाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करने वाले 03 अपचारी बालकों को हिरासत में लिश्स है। अपचारी बालकों द्वारा फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाया गया पिस्टल नुमा लाइटर, फिर उसके साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड किया गया था। दिनांक 11.03.2025 को सूचना मिली कि गिधौरी क्षेत्र में सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें पिस्टल जैसी दिखने वाली कोई चीज भी दिखाया गया है। कि सूचना पर थाना गिधौरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करने वाले 03 अपचारी बालकों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि, अपचारी बालकों द्वारा एक पिस्टलनुमा लाइटर फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवाया गया था, जिसके सांथ तीनों अपचारी बालकों द्वारा एक वीडियो तैयार कर, सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया गया। कि प्रकरण में थाना गिधौरी पुलिस द्वारा तीनों अपचारी बालकों के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर, पिस्टलनुमा लाइटर जप्त किया गया है। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की आप सभी से अपील सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि में किसी भी प्रकार से चाकू, छुरी अथवा अन्य हथियार जैसी दिखने वाली चीजों के साथ वीडियो फोटो अपलोड ना करें।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बना रही साय सरकार, ड्रोन दीदियां भर रही सफलता की उड़ान, किसानों को भी हो रहा फायदा

रायपुर | आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के हितकारी साबित हो रही है। एक ओर जहां महतारी वंदन योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है तो दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा संचालित महिला आधारित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन साय सरकार कर रही है, लिहाजा प्रदेश की महिलाएं अब सीधे रोजगार से जुड़ रही है और आय के स्त्रोत बढ़ा रही है।

केंद्र की ओर से संचालित ड्रोन दीदी योजना का लाभ प्रदेश की महिलाएं ले रही हैं। इसका फायदा किसानों को भी मिल रहा है।

क्या है नमो ड्रोन दीदी योजना?

नमो ड्रोन दीदी योजना मोदी सरकार का एक इनोवेटिव प्रयास है। इस योजना को शुरू करने का मकसद देश की महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का है। इस योजना के तहत देश की महिलाओं को सरकार की ओर से ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मोदी सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना से मुख्य रूप से तीन फायदे मिल रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं की आमदनी तेजी से बढ़ रही है। खेती के लिए पेस्टीसाइड और फर्टिलाइजर की खपत कम हो रही है। वहीं, योजना की मदद से किसानो की कृषि में लागत कमी और आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। 'नमो ड्रोन दीदी' योजना के तहत सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उड़ाने की मुफ्त ट्रेनिंग देती है और ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी तथा किफायती दरों पर लोन उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन की खरीद पर महिला स्वयं सहायता समूहों को 80त्न तक सब्सिडी या अधिकतम 8 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ड्रोन की शेष लागत के लिए कृषि अवसंरचना कोष (रढ्ढस्न) से ऋण सुविधा दी जाती है, जिस पर मात्र 3त्न ब्याज दर लागू होती है।

सफलता की उड़ान भर रही ड्रोन दीदियां

महिलाओं के प्रति संवेदनशील साय सरकार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की। इस योजना में राज्य की महिलाओं को ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है। ड्रोन ऑपरेशन के माध्यम से महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों के द्वार खुल रहे और यह योजना ग्रामीण महिलाओं को नई तकनीकों से जोडऩे में मददगार भी साबित हो रही है। इस योजना के जरिए महिलाएं आर्थिक रूप सशक्त भी हो रही है। रायपुर जिले की ग्राम नगपुरा की ड्रोन दीदी चंद्रकली केवल 10 मिनटों में एक एकड़ खेत में कीटनाशक का छिडक़ाव कर देती हैं और इससे 300 रुपए कमा लेती हैं। गांव में खेतों में छिडक़ाव के बाद उनके ड्रोन चालन की कुशलता की जानकारी पड़ोसी गांवों में भी फैल गई। उन्हें अब काम मिल रहा है।

किसानों को भी हो रहा फायदा

मुंगेली जिले के नगर पंचायत सरगांव की नमो ड्रोन दीदी गोदावरी साहू ने बताया कि वे विहान अंतर्गत जय माता दी महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य है। नमो ड्रोन योजना अंतर्गत इफको के माध्यम उन्हें ग्वालियर में 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें थ्योरी व प्रेक्टिकल के साथ ग्राउंड लेवल पर ड्रोन को चलाने के संबंध में जानकारी दी गई। इसके बाद फूलपूर में 05 दिवसीय ड्रोन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। वह अब ड्रोन के माध्यम से किसानों के खेतों में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और कीटनाशक का छिडक़ाव करती है। इससे किसानों के पैसे और समय की बचत हो रही है। इसके साथ ड्रोन से वायु प्रदूषण भी नहीं होता। उन्होंने बताया कि ड्रोन के माध्यम से एक ही दिन में 20 से 25 एकड़ खेत में कीटनाशक दवाईयों का छिडक़ाव हो जाता है, जिससे किसानों द्वारा श्रमिकों को देने वाले पैसे की बचत तो हो ही रही है। साथ ही किसानों का समय भी बच रहा है।

रायपुर में गीले कचरे से बनेगी बायो गैस, 18 महीने में 60 करोड़ रुपये से बनेगा प्लांट

रायपुर | आरएनएस

राजधानी में गीला कचरा अब बेकार नहीं जाएगा। नगर निगम ने गीले कचरे से बायो गैस बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

रावांभाठा क्षेत्र में स्थित आठ एकड़ जमीन पर कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट लगाया जाएगा।

यह प्रोजेक्ट भारत पेट्रोलियम कंपनी द्वारा 60 करोड़ रुपये की लागत से 18 महीनों में तैयार किया जाएगा।

इस प्लांट में सब्जी बाजार, उद्यानों और अन्य शहरी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले गीले कचरे को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कचरे से बायो गैस उत्पन्न होगी, जो पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करेगी।

रावांभाठा क्षेत्र में स्थित आठ एकड़ जमीन पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। इसे 60 करोड़ रुपये की लागत से 18 महीनों में तैयार किया जाएगा।

-विश्वदीप, कमिश्नर, नगर निगम रायपुर

बायो खाद का भी होगा निर्माण

गीले कचरे से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिससे कचरे का उचित निपटान होगा और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीण इलाकों से भी एकत्रित होगा गीला कचरा

नगर निगम को रोज 100 टन गीला कचरा प्लांट में पहुंचाना होगा। इसके लिए नगर निगम ने शहरी क्षेत्रों में स्थित बगीचों, सब्जी बाजारों और गोबर कचरे के स्रोतों से तालमेल बैठाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बिरगांव, खरोरा, अभनपुर, तिल्दा नेवरा जैसे क्षेत्रों से भी गीला कचरा एकत्र किया जाएगा।

होगा यह फायदा

बायो गैस का वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

गीले कचरे के उचित निपटान से राजधानी का प्रदूषण कम होगा।

वेस्ट मटेरियल का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाएगा।

प्लांट बनने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

प्लांट का विरोध हो गया शुरू, बर्दाश्त नहीं करेगी जनता

रावांभाठा में लगने वाले बायो गैस कंप्रेस्ड प्लांट का बिरगांव नगर निगम ने विरोध शुरू कर दिया है। नगर निगम बिरगांव के महापौर नंदलाल देवांगन और एमआईसी सदस्य इकराम अहमद ने कहा कि बिरगांव नगर निगम क्षेत्र की जनता रायपुर शहर की गंदगी और कचरे को बर्दाश्त नहीं करेगी।

इस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। प्लांट लगाने के प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास घनी आबादी है। प्लांट बनने के कारण बदबू से आस-पास के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। इसके विरोध के लिए 12 मार्च बुधवार को एक विशेष सामान्य सभा बुलाई जा रही है।

शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

राजधानी के मौदहापारा थानाक्षेत्र में एक महिला को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने तथा शदी से इंकार करने व महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के तहत पुलिस ने धारा 64, 64(2)(एम), 69,115(2),127(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।

बता दें कि एक महिला ने मदौहापारा थाने में दिनांक 11.03.2025 को लिखित शिकायत पेश की थी जिसमे बताया गया है कि आरिफ खान द्वारा उसको शादी का प्रलोभन देकर केके रोड मौदहापारा के होटल में ले जाकर दिनांक 2 दिसंबर से दिनांक सात मार्च 2025 तक शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा है तथा शादी करने से इंकार कर रहा है, तथा शादी और शादी के लिए कहने पर कमरे में बंद कर मारपीट भी किया है कि प्रार्थिया/पीड़िता की लिखित शिकायत पर थाना मौदहापारा जिला रायपुर में धारा 64, 64(2)(एम), 69,115(2),127(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान थाना मौदहापारा पुलिस द्वारा आरोपी आरिफ खान का पता तलाश कर एक घंटे के अंदर हिरासत में लिया गया।

तहसील कार्यालय में किसान ने किया खुदकुशी का प्रयास

बलौदाबाजार | आरएनएस

बलौदा बाजार जिले के सुहेला में एक किसान ने त्वरित न्याय नहीं मिलने के चलते तहसील कार्यालय परिसर में ही जहर खाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों व तहसीलदार ने तुरंत किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहेला में भर्ती कराया,जहां किसान का इलाज जारी है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार बुढग़ाहन गांव का रहने वाला किसान हीरालाल साहू लंबे समय से अपनी जमीन पर कब्जे से जुड़े विवाद को लेकर परेशान था। इस संबंध में प्रकरण सुहेला तहसील में चल रहा था। कई चक्कर लगाने के बाद बुधवार को भी जब उसे अगली पेशी तारीख दी गई। अगली तारीख मिलते ही किसान हीरालाल परेशान हो गया और कार्यालय से बाहर निकलते ही जहर पी लिया। किसान के जहर पीते ही इसकी जानकारी तहसीलदार को दी गई और आसपास मौजूद लोगों की मदद से किसान को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहेला ले जाया गया। जहां किसान की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम किसान की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। इधर इस घटना से जहां प्रशासनिक अमले में हडक़ंप मच गया है वही स्थानीय ग्रामीणों और किसान संगठनों में आक्रोश बढ़ गया है।

थाना परिसर में होली मिलन समारोह एवं शांति समिति की बैठक का आयोजन

❒ कार्यक्रम में गुड सेमेरिटन, पंचायत और विविध क्षेत्र के प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित

रायगढ़

एसपी दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन पर आज थाना पूंजीपथरा परिसर में होली मिलन समारोह और शांति समिति की बैठक आयोजित किया गया जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा, नायब तहसीलदार रश्मि पटेल, तथा थाना क्षेत्र के नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, कोटवारों, और अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मुख्य रूप से शांतिपूर्ण होली मनाने और शांति समिति की बैठक में त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के उपद्रव से बचने की अपील की गई।

थाना प्रभारी राकेश मिश्रा ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और शांति समिति के सदस्यों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की और यह भी बताया कि क्षेत्र में पुलिस की पूरी सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति त्यौहार में उपद्रव करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, पंचायत चुनाव में विशेष सहयोग देने वाले विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है:

1. मतेतरीन चौहान, ग्राम कोटवार धर्राटांगर, चुनाव कार्य में सहयोग हेतु
2. द्वारीका प्रसाद, ग्राम सामाक्रमा, सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्काल सहयोग देने हेतु
3. बाल कृष्ण चौहान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़, कोर्ट कार्य में सहयोग हेतु
4. दुखनी बाई, ग्राम कोटवार सराईपाली, चुनाव कार्य में योगदान
5. क्रांसस्का तिग्गा, अधीक्षिका, आदिवासी कन्या आश्रम सराईपाली
6. डॉ. काली मुथू और टीम, ट्रामा सेंटर, पूंजीपथरा, स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग हेतु
7. प्रिया यादव, ग्राम सामारूमा, चुनाव कार्य में विशेष सहयोग
8. सुभाष यादव, गार्डन इंचार्ज एसएसडी, चुनाव कार्य में विशेष सहयोग

इस समारोह ने स्थानीय समुदाय के सहयोग और प्रशासनिक प्रयासों को उजागर करते हुए एकजुटता और शांतिपूर्ण वातावरण को बढ़ावा दिया।

पूंजीपथरा पुलिस की बड़ी कार्यवाई: 100 लीटर अवैध महुआ शराब और स्कूटी जब्त, दो गिरफ्तार

रायगढ़

होली से पहले जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। कल दिनांक 11 मार्च 2025 को पूंजीपथरा पुलिस ने ग्राम देलारी में छापेमारी कर 100 बल्क लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

एसपी दिव्यांग पटेल के निर्देशन पर थाना प्रभारी राकेश मिश्रा द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने मुखबिर सक्रिय किया गया है। इसी कड़ी में कल उपनिरीक्षक विजय एक्का के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम देलारी गौठान के पास एक TVS जुपिटर स्कूटी (CG 13AR 2429) पर दो व्यक्ति बड़ी मात्रा में अवैध शराब ले जा रहे हैं। टीम ने घेराबंदी कर स्कूटी सवारों को रोका और उनकी तलाशी ली, जिसमें 250 पाउच कच्ची महुआ शराब (प्रत्येक पाउच में 200 ml) बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपी:

1. प्रेम धनवार (19 वर्ष) – निवासी पतरापाली उल्दा, थाना खरसिया
2. अशोक राम पासवान (43 वर्ष) – निवासी बनकट, थाना कांडी, जिला गढ़वा (झारखंड)

आरोपियों ने बताया कि वे यह शराब ग्राम देलारी के मुंचू उर्फ संत राम राठिया से लेकर ग्राम पाली में बेचने के लिए ले जा रहे थे। आरोपी मुंचू फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और तीनों आरोपियों पर धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

होली पर सख्त निगरानी, अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप

पूंजीपथरा पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि होली के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अवैध शराब की बिक्री पर सख्त नजर रखी जा रही है। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक विजय एक्का, सहायक उपनिरीक्षक जयराम सिदार, प्रधान आरक्षक लोमेश राजपूत, विनीत तिर्की समेत पुलिस टीम शामिल रही।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि अवैध शराब या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि होली का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा सके।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

ग्रीष्म काल में पेयजल समस्या के निदान हेतु जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन

❒ पेयजल समस्या के लिए दूरभाष नंबर 07762-222972 पर कर सकते है संपर्क, 30 जून तक रहेगा प्रभावशील

❒ शिकायत/सुझाव के लिए विभागीय टॉल फ्री नंबर 18002330008 में भी कर सकते है संपर्क

रायगढ़

ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण एवं सुचारू रूप से संचालन/संधारण हेतु जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का दूरभाष नंबर 07762-222972 है। यह प्रकोष्ठ 30 जून 2025 तक के लिए प्रभावी रहेगा।

कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार उप अभियंता गीतेन्द्र पटेल मोबा. नं. 94061-55333 को नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह सहायक मानचित्रकार आर.के.खलखो मोबा.नं.88393-90621 एवं स्थल सहायक दिलीप साहू मोबा.नं.97136-25981 को नियंत्रण प्रकोष्ठ सहायक बनाया गया है। प्रकोष्ठ में पेयजल समस्या के निराकरण से संबंधित डाक एवं पत्राचार प्रकोष्ठ प्रभारी द्वारा किया जाएगा। प्रकोष्ठ प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करेगी। जिला स्तर पर खण्ड कार्यालय रायगढ़ एवं प्रत्येक उपखंड मुख्यालय तथा विकासखण्ड स्तर पर समस्त जनपद पंचायत मुख्यालय में शिकायत पंजी संधारित की जाएगी। शिकायत/सुझाव उक्त स्थलों पर दर्ज किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विभागीय टॉल फ्री नंबर 18002330008 में भी शिकायत/ सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे।

उपखण्ड स्तर पर भी अधिकारी-कर्मचारी पेयजल प्रकोष्ठ के तहत 30 जून तक के लिए अपने आवंटित कार्य के अतिरिक्त पेयजल प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य करेंगे। इनमें उपखंड कार्यालय रायगढ़ कमल प्रसाद कंवर-सहायक अभियंता, मोबा.नं.93401-25207, विकासखण्ड रायगढ़ प्रभारी आरती साव-उपअभियंता मोबा.नं.82230-63440, विकासखण्ड पुसौर प्रभारी गीतेन्द्र पटेल-उप अभियता मोबा. नं.94061-55333 पेयजल प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य करेंगे। इसी तरह उपखंड कार्यालय घरघोड़ा परिमल तिवारी-सहायक अभियंता मोबा.नं.88783-59171, विकासखण्ड घरघोड़ा प्रभारी वर्षा महंत-उप अभियता मोबा. नं.9340725002, विकासखण्ड तमनार प्रभारी संध्या चतुर्वेदानी-उप अभियंता मोबा.नं.8349950218 तथा विकासखण्ड लैलूंगा प्रभारी जी.एस.चौहान-उपअभियंता मोबा. नं.94241-87875, उप खण्ड कार्यालय खरसिया श्रीराम नरनावरे-सहायक अभियंता मोबा.नं.94062-43647, उपखण्ड कार्यालय खरसिया प्रभारी कु.उमा सिदार-उप अभियंता मोबा.नं.77480-23595, विकासखण्ड खरसिया प्रभारी आर.एन.शर्मा-उपअभियंता मोबा.नं.87707-06336, उपखण्ड कार्यालय धरमजयगढ़ प्रभारी तथा विकासखण्ड धरमजयगढ़ प्रभारी जे.सी.भगत-प्रभारी सहायक अभियंता मोबा.नं.9131044438 पेयजल प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य करेंगे।